

संख्या- 5654/1-10-2008-12(86)/2008

प्रेषक,

जी० के० टण्डन,
राहत आयुक्त एवं सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बरेली एवं शाहजहाँपुर।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 19 दिसम्बर, 2008

विषय: वर्ष 2008-09 में आपदा राहत निधि से आवंटित धनराशि के सापेक्ष स्वीकार किये गये समर्पण की सूचना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2008-09 में अनुदान संख्या-51 लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-आपदा राहत निधि-800-अन्य व्यय-03-राष्ट्रीय आपदा निधि से व्यय-42-अन्य व्यय" के अन्तर्गत आपदा राहत निधि से आवंटित धनराशि के सापेक्ष आपके जनपद से प्राप्त निम्नांकित अप्रयुक्त एवं कोषागार से अनाहरित अवशेष धनराशि का समर्पण स्वीकार कर लिया गया है:-

क्र०सं०	जनपद का नाम	पत्र संख्या व दिनांक	(धनराशि लाख रु० में)
			शासन द्वारा स्वीकार की गयी समर्पित धनराशि
1	बरेली	2373/मु०रा०ले०-संग्रह-08 दिनांक 22.11.2008	165.48
2	शाहजहाँपुर	38/सी०आर०ए०(आपदा) दिनांक 02.11.2008	19.65
		योग :	185.13

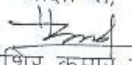
2. कृपया दैवी आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता जनपद स्तर पर रोकी गयी धनराशि से किया जाय, परन्तु कोषागार नियम-27 से धनराशि का आहरण कदापि न किया जाय। राहत वितरण हेतु धनराशि की आवश्यकता होने पर शासन को धनावंटन प्रस्ताव अविलम्ब पत्र वाहक के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी/ राजस्व अनुभाग-10 को उपलब्ध कराया जाय।

भवदीय
(जी० के० टण्डन)
राहत आयुक्त एवं सचिव।

संख्या-5654(1)/1-10-2008-12(86)/2008, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा)/महालेखाकार (आडिट) प्रथम उ० प्र० इलाहाबाद।
2. मण्डलायुक्त, बरेली।
3. आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद, उ० प्र० लखनऊ।
4. कोषाधिकारी, बरेली एवं शाहजहाँपुर।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
- ✓ 6. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी/लेखाकार राजस्व अनुभाग-10/राजस्व अनुभाग-6/11/राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
7. चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 की धनावंटन पत्रावली में रखने हेतु।
8. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(शिशिर कुमार यादव)
उप सचिव।